सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-28 अंक-6 22 मार्च से 5 अप्रैल, 2013 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

हुगो शावेज : आजीवन निर्भीक समझौताहीन योद्धा

केन्द्रीय कमेटी

28.7.1954 5.3.2013

वेनेजुएला के राष्ट्रपति हुगो शावेज की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 6 मार्च को जारी एक प्रैस बयान में कहा,

'' अमेरिकी साम्राज्यवाद के घिनौने षड्यंत्र, आधिपत्यवाद और तरह-तरह की चालबाजियों के खिलाफ वेनेजुएला सहित समग्र लेटिन अमेरिका की जनता पर शोषण-जुल्म के विरोध में हुगो शावेज के आजीवन लगातार निर्भीक और समझौताहीन संघर्ष की कहानी दुनिया के करोड़ों मेहनतकश लोगों के दिलों में संजोयी रहेगी। देश की जनता के लिए सब उल्लेखनीय सुयोग-सुविधाओं का प्रबन्ध करने में राष्ट्रपति के तौर पर उनकी भूमिका भी अविस्मरणीय रहेगी। दरअसल, शावेज वेे अमेरिकी साम्राज्यवाद-विरोधी और जनमुखी कामकाज सभी देशों के साम्राज्यवाद-विरोधी, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद-विरोधी जनता के जीवन में जोरदार प्रेरणा वेे तौर पर काम करेंगे। इस साम्राज्यवाद-विरोधी बहादुर योद्धा और वेनेजुएला के असाधारण नेता की याद के प्रति हम तहेदिल से श्रद्धांजली देते हैं। हम आशा करते हैं कि साम्राज्यवाद के खिलाफ जी जान से लड़ने की जो मिसाल उन्होंने कायम की है उसकी विरासत की शानदार परम्परा को वेनेजुएला की जनता अडिग तौर पर जारी रखेगी और लैटिन अमेरिका के तमाम देशों में फैला देगी।''

देश भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

महिलाओं पर बढ़ते अपराध-अत्याचार के खिलाफ जगह-जगह हुए विरोध प्रदर्शन-सभाएं

8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से देश भर में सेमिनार, जुलूस, प्रदर्शन, कार्यशालाएं, धरने आदि आयोजित किये गये।

नई दिल्ली : 8 मार्च को ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संसद मार्ग पर महिलाओं पर बढ़ते अपराध व अत्याचार के खिलाफ रैली की। प्रदर्शनकारियों को संसद मार्ग पर रोक दिए जाने के बाद रैली एक सभा में तब्दील हो गई। सभा को एडवोकेट दीपिका जैन, कॉ. पुष्पा चमोली व सीता सिंह (उपाध्यक्ष, ए.आई.एम.एस.एस., दिल्ली) और कॉ. रितु कौशिक (सचिव, ए.आई.एम.एस.एस, दिल्ली) ने संबोधित किया। सभा के मुख्य वक्ता थे एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) के दिल्ली राज्य सचिव कॉ. प्रताप सामल। सभा की अध्यक्षता ए.आई.एम.एस.एस. की दिल्ली राज्य अध्यक्ष प्रोफेसर सुबोध शर्मा ने की।

वक्ताओं ने कहा कि आज महिलाओं पर भयावह रूप से बढ़ते अपराध व अत्याचार ने सारी हदें पार कर दी हैं। घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दफ्तर कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। देश के हर कोने में हर रोज बलात्कार की जघन्य घटनाएँ हो रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली मे 16 दिसम्बर को चलती बस में सामूहिक बलात्कार की घटना हुई जिसमें एक होनहार छात्रा पर 6 दरिंदों ने वीभत्स अत्याचार व बलात्कार किया तथा उसे मौत के मुँह में धकेल दिया। उसके पश्चात् 28 फरवरी को मंगोलपुरी में एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। दिल्ली में पिछले वर्ष 635 बलात्कार की घटनाएँ दर्ज हुई हैं। जबकि हम जानते हैं कि दर्ज न किए जाने वाले

(शेष पृष्ठ 2 पर)

ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन का

हरियाणा राज्य का छठा किसान सम्मेलन सम्पन्न

झज्जर (हरियाणा) : ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन के बैनर तले हयिाणा राज्य का छठा किसान सम्मेलन 3 मार्च को यहां जहांआरा बाग में पूरे जोशोखरोश से सम्पन्न हुआ। प्रदेश भर से भारी संख्या में किसान आन्दोलन के प्रतिनिधियों ने इसमें शिरकत की और अपने हकहकूक के लिए जोरदार आवाज बुलंद की। दो दिवसीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड अनूप सिंह मातनहेल ने की। किसान संगठन के प्रदेश सचिव कॉमरेड विजय कुमार ने मंच संचालन किया। किसान नेता कॉ. जयकरण माण्डोठी द्वारा पेश किया गया और कॉ. करतार सिंह अच्छेज द्वारा अनुमोदन किया गया एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया जिसमें ओलावृष्टि व जलभराव से प्रदेश भर में खराब हुई फसलों का 30 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने, कृषिभूमि के अधिग्रहण पर पूर्ण रोक लगाने, खेती के लिए डीजल के दाम आधे करने, सड़क मार्गों पर टोल टैक्स न लगाने, हुड्डा सरकार के भूमि घोटालों की जांच सुप्रीम कोर्ट के पीठासीन जज से कराने और रिलायंस के एसईजैड के लिए अधिग्रहित की गई जमीन किसानों को वापस देने की मांग एक स्वर में की गई।

किसान सम्मेलन के खुले अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए एसयूसीआई(सी) सांसद डॉ. तरुण मण्डल ने केन्द्र व राज्य की कांग्रेस सरकार के विकास के नारे को थोथा, नकारात्मक और एकतरफा बताया। बेतहाशा महंगाई बढ़ाकर व रोजगार में कटौती करके आम आदमी का जीना दूभर किया जा रहा है। डीजल व खाद के मूल्य निर्धारण को बाजार की ताकतों के हवाले करके और पूंजीपतियों के लैण्डबैंक बनाने के लिए किसानों को उजाड़ने का उन्होंने कड़ा विरोध किया। उन्होंने प्रस्तावित नये भूमि अधिग्रहण कानून को इस मायने में अत्यंत खतरनाक बताया कि इसमें प्राइवेट कम्पनियों के लिए किसानों से जमीन छीनने को भी जनहित बताया गया है। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा वरना एफडीआई की तरह किसान प्राइवेट पूंजीपति कम्पनियों के चंगुल में फंस जाएंगे।

सम्मेलन के मुख्य वक्ता किसान नेता कॉमरेड सत्यवान ने एफडीआई का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि किसानों को न तो फसलों के पूरे दाम मिल रहे हैं और न ही सिंचाई

(शेष पृष्ठ 8 पर)

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

(पृष्ठ 1 का शेष)

मामलों की संख्या इससे कहीं अधिक है। यह सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। सरकार सांस्कृतिक माहौल को और भी बिगाड़ कर सभ्य समाज को गर्त में धकेलने और छात्रों-नौजवानों की नैतिक रीढ़ को तोड़ डालने के लिए स्कूल स्तर पर यौन शिक्षा लागू कर रही है। नशाखोरी को खुला बढ़ावा दे रही है। वैश्वीकरण के दौर में महिलाओं को उपभोग की वस्तु में रूपान्तरित किया जा रहा है। इस रुझान की सबसे भद्दी अभिव्यक्ति तथाकथित सौन्दर्य प्रतियोगिताओं व फैशन शो के बढ़ते प्रचलन के रूप में हुई है। उपभोक्तावादी संस्कृति को फैलाने के लिए भी नारी को ही निशाना बनाया जा रहा है। यौन-पर्यटन, सेक्स और हिंसा को तरह-तरह से संचार माध्यमों द्वारा महिमामंडित किया जा रहा है। रेडियो, टी. वी. व अन्य प्रचार माध्यमों से खुलकर अश्लीलता परोसी जा रही है। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन उत्पीड़न के अपराधों को नजरअन्दाज कर, कोई कार्यवाही न कर पुलिस-प्रशासन जानबूझकर ऐसी आपराधिक मनोवृत्ति को परोक्ष संरक्षण दे रहा है।

वक्ताओं ने दिल्ली के विवेकशील व्यक्तियों और विशेषकर महिलाओं से आह्वान किया कि वे मिलकर महिलाओं पर बढ़ते अपराधों, शोषण-उत्पीड़न के विरुद्ध एक सशक्त सामाजिक व सांस्कृतिक आंदोलन तैयार करें। प्रदर्शनकारियों ने निम्न मांगों को लेकर गृहमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा : 'दामिनी' के बलात्कारियों को फाँसी दी जाये, बलात्कारियों को ऐसी सख्त सजा दी जाये जो दूसरों के लिए सबक हो, महिलाओं पर अपराध की शीघ्रता से एफ.आई.आर. दर्ज हो, बलात्कार के मामलों को फास्टट्रैक कोर्ट में चलाया जाये, ठोस कार्यवाही करने में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाये, सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने, ड्रग्स लेने व शराब पीने पर सख्ती से रोक लगाई जाये तथा राजस्व बढ़ाने के नाम पर शराब बिक्री को बढ़ावा देना बन्द किया जाये, प्रचार माध्यमों व फिल्मों में नारी देह के अश्लील चित्रण व हर प्रकार की अश्लीलता पर सख्त व कारगर रोक लगाई जाये और जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाये।

करोलबाग : महिलाओं पर बढ़ते अपराध, अश्लीलता व नशाखोरी के खिलाफ यहां 9 मार्च को तिकोना पार्क में नागरिक सम्मेलन किया गया। इसमें कई गणमान्य व्यक्तियों सहित आम लोगों व महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरूआत में कई गीत गाये गये। सम्मेलन को कॉमरेड हरीश त्यागी ने सम्बोधित किया। सम्मेलन का संचालन कॉमरेड शुभा दीक्षित ने किया। इन समस्याओं पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। सम्मेलन में एक 8 सदस्यीय नागरिक कमेटी का भी गठन किया गया।

मुण्डका : एआईयूटीयूसी ने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यथोचित ढंग से मनाया। इस दिन आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और हैल्पर काफी संख्या में मुण्डका गांव की चौपाल में इकट्ठा हुई और सभा की। इसका संचालन राज बाला ने किया। सभा को आशा वर्कर ममता राव, ललिता व कविता, आंगनबाड़ी कर्मि सुनिता और एआईयूटीयूसी दिल्ली राज्य अध्यक्ष कॉमरेड हरीश त्यागी ने सम्बोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि महिलाएं दोहरी शोषित हैं। उन्होंने आशा वर्करों और आंगनबाड़ी वर्करों और हैल्परों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और वेतन समानता की मांग की। साथ ही बढ़ती महंगाई, फिल्मों, इंटरनेट व मीडिया में महिलाओं के भद्दे चित्रण, शराबखोरी और नारी पर अत्याचार रोकने के लिए भी अपनी आवाज बुलंद की।

अहमदाबाद (गुजरात) : महिलाओं पर बढ़ते अपराध व अत्याचार के खिलाफ ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य के अहमदाबाद, सूरत, बडोदरा व अन्य जगहों पर प्रदर्शन किये गये। अहमदाबाद में लाल दरवाजा स्थित अपना बाजार सर्कल पर आयोजित प्रदर्शन में काफी महिलाओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की तुरन्त रोकथाम करने, राज्य और देश में बलात्कारों को रोकने के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने, शराबबंदी को सख्ती से लागू करने, रजामंदी से 'संबंधों' की उम्र न घटाने की मांग की। संगठन की गुजरात राज्य संयोजक कॉमरेड मीनाक्षी जोशी ने एक सप्ताह भर यह कार्यक्रम चलाने का एलान किया।

जमशेदपुर (झारखण्ड) : एआईएमएसएस जमशेदपुर नगर कमिटी की ओर से इस अवसर पर साकची आमबगान मैदान से एक जुलूस निकाला गया जो कि उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर एक धरने में तब्दील हो गया। धरने के उपरांत एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें महिलाओं व छात्राओं की सुरक्षा के लिए सभी महिला कॉलेजों, पार्कों और गली-चौराहों पर सादी वर्दी में पुलिस तैनात करने, शराब पर पूर्ण पाबंदी लगाने, अश्लील सिनेमा-साहित्य पर रोक लगाने, बलात्कारियों को गिरफ्तार कर फांसी दी जाने, हर पुलिस थाने में महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने, महिलाओं की शिकायत दर्ज न करनेवाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई की जाने की मांग की गयी। जिस थाने में महिलाओं पर बढ़ते अपराध दर्ज किये जा रहे हैं वहां संबंधित थाना प्रभारी पर कार्यवाई की जाने और दहेज हत्या, भ्रूण हत्या पर रोक लगाने की भी मांग की गई। प्रदर्शन में ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की पूर्वी सिंहभूम जिला सचिव कॉ. चंदना बनर्जी सहित दर्जनों महिलाएं उपस्थित थी।

रांची : महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ 8 मार्च को ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की रांची जिला कमेटी की ओर से प्रदर्शन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। जुलूस रांची के जिला स्कूल से शुरू हुआ और डीसी आफिस तक गया जहां यह सभा में बदल गया। इसके बाद एक प्रतिनिधिमण्डल ने डीसी को एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमण्डल में संध्या पांडे, विमला साहू, फूलमनी टोप्पो, सुषमा सिंह और कल्पना देवी शामिल थी।

सरायकेला-खरसवां: 8 मार्च को ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन, सरायकेला-खरसवां जिला कमेटी की सचिव कॉमरेड लिली दास के नेतृत्व में महिलाओं ने यहां आदित्यपुर रेडियो स्टेशन चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। धरने को उनके अलावा, ग्रेजुएट कॉलेज जमशेदपुर की व्याख्याता प्रो. किरण शुक्ला, सीता देवी, जयंती देवी, तारा ठाकुर, सोनी देवी, विमला देवी ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती मालती देवी ने की और संचालन अंजना भारती ने किया।

हजारीबाग, झारखण्ड में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सैकड़ों महिलाओं ने ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन के बैनर तले डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जन वितरण प्रणाली के तहत कोयले का राशन दिया जाए, शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस देना बंद किया जाए और महिलाओं व अन्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए।

पटना (बिहार) : अश्लीलता-नग्नता के प्रचार-प्रसार तथा शराब व नशीले पदार्थों के उत्पादन व बिक्री पर रोक लगाने की मांग के साथ महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) के तत्वावधान में विरोध मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। गांधी मैदान के दक्षिणी-पूर्वी कोने पर स्थित नेताजी की मूर्ति से महिलाओं ने सुसज्जित जुलूस निकाला, जो जेपी गोलम्बर, आकाशवाणी होते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंचा। वहां पर महिलाओं ने अश्लीलता-नग्नता तथा शराब व नशीले पदार्थों के विरोध स्वरूप अश्लील पोस्टरों व शराब की बोतलों को आग के हवाले किया।

सभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की अखिल भारतीय कमिटी की सदस्या श्रीमती श्यामली मुखर्जी ने कहा कि आज समाज में जारी अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार और उत्पीड़न भरे माहौल का खामियाजा महिलाओं को ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। चाहे छोटी बच्ची हो, जवान या वृद्ध महिला, उन पर क्रूर व पाशविक अपराध हो रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब महिलाओं पर नृशंस जुल्म न होते हों। सार्वजनिक स्थलों, यहां तक कि जिन्हें कानून के रखवाले कहा जाता है, उनकी हिरासत में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं पर होने वाले अपराधों की दर्ज संख्या हर वर्ष बढ़ रही है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण व उपभोक्तावादी संस्कृति के इस दौर में विज्ञापन, ब्यूटी कॉन्टेस्ट और फैशन शो के नाम पर नारी शरीर की नुमाइश तथा मॉडलिंग, सेक्स टूरिज्म के नाम पर देह व्यापार चल रहा है। ग्लोबल कार्पोरेट बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे को सुनिश्चित करने के लिए नारी का अंग-अंग निलाम हो रहा है। साथ ही टी.वी., विडिओ, फिल्मों, अखबारों व पत्रिकाओं में सेक्स व हिंसा के नंगे प्रदर्शन से समाज के सांस्कृतिक-नैतिक स्तर में तेजी से खतरनाक गिरावट आ रही है। श्रीमती मुखर्जी ने कहा कि सामूहिक बलात्कार, तेजाब फेंकना, यौन शोषण कर उसका ब्लू फिल्म या एमएमएस बना ब्लैकमेल करना या जान से मार देना आम बात हो गयी है। अपने संबोधन में ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की बिहार राज्य सचिव साधना मिश्रा ने कहा कि नीतीश राज में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कल ही मुजफ्फरपुर जिले के कथौया थाना के कुड़िया गांव में 15 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धिक्कारते हुए उन्होंने सरकार से दोषियों को दृष्टांतमूलक सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पटना, फतुहा, बिहटा, मधेपुरा, समस्तीपुर, भागलपुर, बरूराज सहित दस स्थानों पर रेप-गैंगरेप की घटनाएं घटी हैं, जो नीतीश कुमार के महिला सशक्तिकरण के दावे की कलई खोलती हैं। सुशासन और विकास का राग अलापने वाली नीतीश सरकार ने गली-गली में, चौक-चौराहों पर शराब की दुकानों की भरमार कर दी है, शराबखोरी और नशाखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। नतीजतन महिलाओं पर अपराध, जुल्म और रेप, गैंगरेप की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी जारी है। सभी वक्ताओं ने महिलाओं को संगठित होने और उन पर हो रहे जुल्मो-सितम के खिलाफ मानव मुक्ति आंदोलन के परिपूरक महिला आंदोलन निर्मित करने पर बल दिया। विरोध मार्च का नेतृत्व सुनीता देवी, संध्या माइति, सुषमा, पार्वती, प्रेमा देवी आदि ने किया।

रोहतक (हरियाणा) : प्रदेश में बढ़ रहे अपहरण, बलात्कार, गेंग रेप जैसे अपराधों की रोकथाम और दोषियों को कड़ी सजा के प्रावधान की मांग को लेकर ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने रोहतक में जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इससे पहले छोटूराम पार्क हाल में एक सभा की जिसकी अध्यक्षता कॉमरेड बिमला ने की। विभिन्न जिलों से आई सैकड़ों महिलाओं ने उत्साह के साथ सभा में हिस्सा लिया।

सभा की मुख्य वक्ता संगठन की अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड छाया मुखर्जी ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के गौरवशाली व संघर्षपूर्ण इतिहास पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि महिलाएं किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं हैं। अगर उन्हें बराबरी का मौका दिया जाए तो वे हर कार्यक्षेत्र में न केवल पुरुषों की बराबरी कर सकती हैं बल्कि उनसे आगे भी निकल सकती हैं। महिलाएं आज दोहरे शोषण की शिकार हैं। एक तरफ वे पुरुष प्रधान समाज के द्वारा शोषित हैं और दूसरी तरफ पूंजीवादी शोषण की चक्की में पिस रही हैं। उन्हें इन दोनों तरह के शोषण से मुक्ति हासिल करनी है। इसके लिए उन्हें ताकत हासिल करनी है जो वैचारिक संघर्ष और जीवन की ज्वलन्त समस्याओं को लेकर जनआन्दोलन में शामिल हो कर, संघर्ष से ही हासिल हो सकती है। इसमें मार्गदर्शन के लिए उन्हें कॉमरेड शिवदास घोष के चिन्तन को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों और अपराधों के खिलाफ महिलाओं को हर स्तर पर संगठित कर पहलकदमी के साथ आवाज उठाने और जोरदार आन्दोलन गठित करने का आह्वान किया। उन्होंने नारी को विज्ञापन के तौर पर दिखाने की कड़ी निन्दा की।

ज्ञापन में हरियाणा सरकार द्वारा राजस्व बढ़ाने के नाम पर शराब को बढ़ावा देने की नीति वापस लेने, बलात्कारियों को उदाहरणमूलक कठोरतम सजा देने, अपराधियों और पुलिस की सांठगांठ खत्म करने, त्वरित न्याय प्रदान करने,

(शेष पृष्ठ 6 पर)

पार्टी

स्टालिन

(यह लेख स्तालिन द्वारा रचित ग्रंथ 'लेनिनवाद की समस्याएं' से लिया गया है)

क्रान्ति के पूर्वकालीन, न्यूनाधिक शान्तिपूर्ण विकास वाले युग में मजदूर आन्दोलन में दूसरे इण्टरनेशनल की पार्टियों का ही बोलबाला था और पार्लियामेण्ट वाले ढंग ही उस समय संघर्ष के प्रधान साधन माने जाते थे। ऐसी अवस्था में पार्टी का न तो वह बड़ा और निर्णायक महत्व था और न हो ही सकता था जो उसने आगे चलकर खुले क्रान्तिकारी संग्रामों की परिस्थितियों में ग्रहण किया। दूसरे इण्टरनेशनल पर किए गए आक्षेपों का उत्तर देते हुए कॉऊत्सकी ने कहा है कि उक्त इण्टरनेशनल की पार्टियाँ, युद्ध का नहीं, बल्कि शान्ति का अस्त्र हैं, इसलिए युद्ध के काल में, अर्थात् सर्वहारा वर्ग की क्रान्तिकारी कार्रवाइयों के काल में, वे कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने में शक्तिहीन थी। काऊत्सकी का कहना बिल्कुल सही है। किन्तु इसका तात्पर्य क्या है? वह यह है कि दूसरे इण्टरनेशल से सम्बन्धित पार्टियाँ सर्वहारा वर्ग के क्रान्तिकारी आन्दोलन को चलाने के सर्वथा अयोग्य थीं। वे मजदूर-वर्ग की लड़ाकू पार्टियाँ न थीं जो राजसत्ता पर अधिकार करने के संघर्ष में सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करतीं। बल्कि वे पार्लियामेण्ट के चुनावों की और पार्लियामेण्टवादी संघर्षों के अनुरूप ढली हुई केवल चुनावी मशीनें थीं। दरअसल यह व्याख्या करता है कि जब दूसरे इण्टरनेशनल के अवसरवादियों का दौरदौरा था तब तक पार्टी नहीं बल्कि उसका पार्लियामेण्ट वाला गुट हीं क्यों मजदूर-वर्ग का प्रधान राजनीतिक संगठन बना रहा। यह सर्वविदित है कि उन दिनों पार्टी पार्लियामेण्ट वाले गुट का एक पुच्छल्ला और उप समिति बना दी गई थी जो उसी की आधीनता में काम करती थी। इसके लिए सबूत की कोई जरूरत नहीं कि इन परिस्थितियों में और ऐसी पार्टी की अगुआई में सर्वहारा वर्ग को क्रान्ति के लिए तैयार करने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था।

किन्तु नए दौर के आरम्भ के साथ परिस्थिति में भारी परिवर्तन हो गया है। नया दौर खुले वर्ग-संघर्षों का दौर है; यह सर्वहारा वर्ग की क्रान्तिकारी कार्रवाइयों का और सर्वहारा क्रान्ति का दौर है; यह एक ऐसा दौर है जिसमें साम्राज्यवाद को उखाड़ फैंकने के लिए तथा शासन-सत्ता पर सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य स्थापित करने लिए ताकतों को सीधे लामबन्द किया जा रहा है। इस दौर में सर्वहारा वर्ग नए कामों से रू-ब-रू है। पार्टी के समस्त कार्यों को उसे नए और क्रान्तिकारी ढंग से फिर से संगठित करना है, राजसत्ता पर अधिकार करने के लिए मजदूरों को क्रान्तिकारी संघर्ष की भावना से शिक्षित-दीक्षित करना है, अपनी रिजर्व शक्तियों को समेटकर और तैयार कर आगे बढ़ना है; तथा पड़ोसी देशों के सर्वहारा वर्ग के साथ गठबंधन कायम करना है और उपनिवेशों व पराधीन देशों के स्वाधीनता आन्दोलनों के साथ उसे सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित करना है वगैरह, वगैरह। पार्लियामेण्टवाद की शान्तिमय परिस्थितियों में पली हुई पुरानी सामाजिक-जनवादी पार्टियों से इन नए कर्त्तव्यों के पूरा होने की सोचना अपने को घोर निराशा, हताशा और अनिवार्य पराजय के गर्त में डालना था। इन कर्त्तव्यों के सामने आ जाने पर भी यदि सर्वहारा वर्ग उन्हीं पुरानी पार्टियों के नेतृत्व में रहता तो वह पूरी तरह निहत्था हो जाता। इसके लिए सबूत की कोई खास आवश्यकता नहीं कि सर्वहारा वर्ग इस सूरते हाल से सन्तुष्ट नहीं हो सकता था।

इसलिए आवश्यकता पड़ी एक नई पार्टी की, एक जुझारू और क्रान्तिकारी पार्टी की–ऐसी साहसी पार्टी की जो राजसत्ता पर कब्जा करने के संघर्ष में सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व कर सके; ऐसी पर्याप्त अनुभवी पार्टी की जो क्रान्तिकारी परिस्थिति की अत्यन्त जटिल अवस्थाओं में भी अपना विवेक न खोए; ऐसी पर्याप्त लचीली व कार्यकुशल पार्टी की जो क्रान्ति के जहाज को पानी के अन्दर छिपी हुई चट्टानों से बचाकर उसको अपने लक्ष्य तक पहुँचा दे।

इस तरह की पार्टी के बिना साम्राज्यवाद का अन्त करने और सर्वहारा एकाधिपत्य की स्थापना करने की बात सोचना भी व्यर्थ होता। यह नई पार्टी है लेनिनवादी पार्टी।

इस नई पार्टी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

(1) यह पार्टी मजदूर वर्ग का अगुआ दस्ता है

सर्वप्रथम पार्टी को मजदूर-वर्ग का अगुआ दस्ता होना चाहिए। उसे मजदूर-वर्ग के सर्वोत्तम लोगों के प्रति उनके अनुभव, उनके क्रान्तिकारी जज्बे और सर्वहारा वर्ग के प्रति उनके निःस्वार्थ समर्पण को आत्मसात करना चाहिए। किन्तु पार्टी वास्तव में अगुआ दस्ता तभी बन सकती जब वह क्रान्तिकारी सिद्धान्त के अस्त्र से लैस हो और उसे आन्दोलन के नियमों एवं क्रान्ति के नियमों का ज्ञान हो। ऐसा हुए बिना वह सर्वहारा आन्दोलन का संचालन और सर्वहारा का नेतृत्व करने में समर्थ न हो सकेगी। मजदूर वर्ग का साधारण जनसमुदाय जो कुछ सोचता और अनुभव करता है, पार्टी का काम अगर उसे ही दर्ज करने तक सीमित रहा; अगर पार्टी स्वतःस्फूर्त आन्दोलन की पिछलग्गू बनी रही और स्वतःस्फूर्त आन्दोलनों की राजनीतिक उदासीनता और जड़ता को दूर करने में समर्थ न हुई; अगर वह मजदूर-वर्ग के क्षणिक हितों के ऊपर न उठ सकी; और अगर वह जनता की चेतना को सर्वहारा के वर्ग-हितों की समझदारी के स्तर तक पहुँचाने में समर्थ न हुई तो फिर पार्टी, एक वास्तविक पार्टी नहीं बन सकती। पार्टी को मजदूर वर्ग के आगे-आगे चलना चाहिए, मजदूर-वर्ग से बहुत आगे तक देखना चाहिए ओर उसका नेतृत्व करना चाहिए। उसे स्वतःस्फूर्त आन्दोलन के पीछे-पीछे नहीं चलना चाहिए। 'पुच्छवाद' का उपदेश करने वाली दूसरे इण्टरनेशनल की पार्टियाँ पूँजीवादी नीति की ही वाहक हैं और सर्वहारा वर्ग को पूँजीवादियों के हाथ की कठपुतली बना देने की कोशिश करती हैं। जो पार्टी सर्वहारा वर्ग के अगुआ दस्ते का काम करती हो, जो जनता की चेतना को सर्वहारा के वर्ग-हितों की समझदारी के स्तर तक पहुँचाने में समर्थ हो, सिर्फ वही पार्टी सर्वहारा वर्ग को ट्रेड यूनियनवाद के पथ से उबारकर उसे एक स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति में परिणत कर सकती है। पार्टी मजदूर वर्ग की राजनीतिक नेता है।

मैं मजदूर-वर्ग के संघर्ष की कठिनाइयों, संघर्ष की कठिन परिस्थितियों, रणनीति और रणकौशल, रिजर्व शक्तियों के उपयोग और हमले और पीछे हटकर बचाव की पैंतरेबाजी आदि का उल्लेख पहले कर चुका हूँ। ये परिस्थितियाँ यदि युद्ध की परिस्थितियों से अधिक पेचीदा नहीं तो उनसे कम पेचीदा भी नहीं हैं। इन पेचीदगियों के बीच कौन सही-सही देख सकता है, कौन मार्ग दर्शन कर सकता है और कौन करोड़ों मजदूरों का नेतृत्व कर सकता है? युद्ध में लगी हुई कोई भी सेना अपने अनुभवी सेनानायकों के बिना काम नहीं चला सकती; अगर वह ऐसा करे तो उसकी हार निश्चित होगी। तब क्या यह स्पष्ट नहीं है कि यदि सर्वहारा वर्ग अपने जानी दुश्मनों का निवाला नहीं बनना चाहता तो अपनी सेनापति मण्डली के बिना सर्वहारा वर्ग के लिए काम चलाना और भी कठिन है। किन्तु यह सेनापति मण्डली कौन है? स्पष्ट है कि सर्वहारा वर्ग की क्रान्तिकारी पार्टी ही सेनापतिमण्डली का स्थान ले सकती है। क्रान्तिकारी पार्टी के बिना मजदूर-वर्ग की वही हालत होगी जो सेनापतियों के बिना किसी फौज की होती है। पार्टी ही सर्वहारा वर्ग की सेनापति मण्डली है।

किन्तु पार्टी मजदूर-वर्ग का केवल अगुआ दस्ता ही नहीं हो सकती। उसे अपने वर्ग का दस्ता, अपने वर्ग का एक अंग होना चाहिए और जीवन के प्रत्येक सूत्र से अपने वर्ग के साथ सम्बद्ध होना चाहिए। जब तक वर्गों का लोप नहीं हो जाता तब तक मजदूर वर्ग और उसके अगुआ दस्ते का, पार्टी सदस्यों और गैर-पार्टी साधारण जनता का भी भेद नहीं मिट सकता। यह भेद तब तक बना रहेगा जब तक कि दूसरे वर्गों के लोग मजदूर वर्ग में आकर मिलते रहेंगे और जब तक कि पूरे वर्ग की चेतना को अगुआ दस्ते की चेतना के स्तर तक पहुँचा देना सम्भव न हो जाएगा। किन्तु अगर यह भेद बढ़कर खाई का रूप धारण कर ले, या साधारण जनता से सम्बन्ध तोड़कर पार्टी अपने ही खोल के भीतर सिमट कर रह जाए, तो फिर पार्टी, पार्टी न रह जाएगी। क्योंकि यदि गैर-पार्टी जनता से उसका कोई सम्बन्ध न रहे, यदि साधारण जनता पार्टी का नेतृत्व न स्वीकार करे, यदि जनता के बीच पार्टी की नैतिक और राजनीतिक साख न हो, तो फिर पार्टी अपने वर्ग का नेतृत्व नहीं कर सकती।

हाल में मजदूर की पाँतों में से दो लाख नए सदस्य पार्टी में भर्ती किए गए हैं। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि ये लोग केवल अपने ही आप पार्टी में नहीं सम्मिलित हुए हैं, बल्कि उन्हें गैर-पार्टी मजदूरों ने भेजा है। पार्टी के लिए नए सदस्य चुनने में सक्रिय भाग लिया है और उनके अनुमोदन के बिना कोई भी नया सदस्य पार्टी में स्वीकृत नहीं किया गया। इस बात से सिद्ध होता है कि पार्टी से बाहर का मजदूर का विशाल जनसमूह हमारी पार्टी को अपनी पार्टी मानता है, उसे अपनी प्रिय पार्टी समझता है, उसके विस्तार और सुदृढ़ीकरण में काफी दिलचस्पी लेता है और उसके हाथों में खुशी-खुशी अपना भाग्य सौंप देता है। इसके लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं कि गैर-पार्टी जनता के साथ पार्टी का सम्बन्ध जोड़ने वाले इन नैतिक सूत्रों के बिना पार्टी अपने वर्ग की निर्णायक शक्ति नहीं बन पाती।

पार्टी मजदूर-वर्ग का एक अभिन्न अंग है

लेनिन ने कहा है–

''हम एक वर्ग की पार्टी हैं, इसलिए लगभग सम्पूर्ण वर्ग को (और युद्ध तथा गृह-युद्ध के समय में सम्पूर्ण वर्ग को) पार्टी के यथासम्भव निकट आकर उसके नेतृत्व में काम करना चाहिए। लेकिन यह समझना कि पूँजीवादी व्यवस्था में सम्पूर्ण वर्ग कभी भी अपने अगुआ दस्ते की, सामाजिक-जनवादी पार्टी की क्रियाशीलता तथा चेतना के स्तर तक पहुँच सकेगा, पिछलग्गुपन और मन बहलाने का एक बहाना भर (मानिलौविज्म[1] अर्थात् झूठा आत्मसन्तोष) है। किसी भी समझदार सामाजिक-जनवादी को इस बात में कभी सन्देह नहीं हुआ कि पूँजीवादी व्यवस्था में ट्रेड यूनियन संगठन भी (जो ज्यादा पिछड़े हुए हैं और पिछड़े हुए मजदूरों के ज्यादा नजदीक हैं) सम्पूर्ण अथवा लगभग सम्पूर्ण वर्ग को अपने भीतर नहीं ला सकते। यदि हम अगुआ दस्ते और उसकी ओर आकर्षित होने वाले जनसमूह का भेद भूल जाते हैं और इस अगुआ दस्ते के इस सतत कर्त्तव्य को भूल जाते हैं कि वह अधिक से अधिक लोगों को उच्चतम स्तर पर लाने की चेष्टा करे तो हम अपने को धोखा देते हैं, अपने कार्यों की महत्ता की ओर से अपनी आँखें मूँद लेते हैं और अपने इन कार्यों को अत्यन्त संकुचित बना देते हैं।''

(लेनिन–ग्रंथावली-रू.सं, खण्ड 4, पृ. 205-6)

[1] मानिलौव रूसी लेखक गोगोल की पुस्तक 'मृत आत्माएं' का एक अत्यन्त आत्मसंतुष्ट पात्र है। अतएव मानिलौफवाद का अर्थ है झूठा आत्मसंतोष।–सं.

(2) पार्टी मजदूर वर्ग का संगठित दस्ता है

पार्टी मजदूर वर्ग का केवल अगुआ दस्ता ही नहीं है, यदि वह अपने वर्ग के संघर्षों का वास्तव में संचालन करना चाहती है तो उसे सर्वहारा का संगठित दस्ता भी होना पड़ेगा। पूँजीवाद की परिस्थितियों में पार्टी के कार्य अत्यन्त गम्भीर और विविध हैं। भीतरी और बाहरी विकास की अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में उसे सर्वहारा वर्ग के संघर्षों का नेतृत्व करना होगा। जब परिस्थिति आक्रमण के अनुकूल हो तब उसे अपने वर्ग को लेकर चढ़ाई करनी होगी; और जब स्थिति प्रतिकूल हो जाए और बचाव के लिए पीछे हटने की मांग कर ले तो शक्तिशाली दुश्मन के प्रहार से उसे बचाने के लिए अपने वर्ग को पीछे हटा लेना होगा। साथ पार्टी से बाहर के करोड़ों असंगठित मजदूरों को संघर्ष का ढंग और अनुशासन सिखलाना होगा और उनमें संगठन और सहनशीलता की भावना उत्पन्न करनी होगी। पार्टी यह सब काम तभी पूरा कर सकती है जब वह स्वयं संगठन और अनुशासन का मूर्त रूप हो, जब वह स्वयं सर्वहारा वर्ग का संगठित दस्ता हो। पार्टी में अगर ये गुण न हों तो उसके द्वारा करोड़ों सर्वहाराओं का वास्तव में पथ-प्रदर्शन करने का सवाल ही नहीं उठ सकता।

पार्टी मजदूर वर्ग का संगठित दस्ता है

पार्टी नियमावली के पहले ही पैराग्राफ में लेनिन की वह सर्वप्रसिद्ध प्रस्थापना विद्यमान है कि पार्टी को एक संगठित इकाई होना चाहिए। उक्त पैराग्राफ में पार्टी को अपने विभिन्न संगठनों का योगफल माना गया है और कहा

(शेष पृष्ठ 4 पर)

पार्टी

(पृष्ठ 3 का शेष)

गया है कि पार्टी का सदस्य पार्टी के इनमें से किसी संगठन का सदस्य ही हो सकता है। मेन्शेविकों ने 1903 में ही लेनिन के इस सिद्धान्त का विरोध किया था और एक संशोधन द्वारा इसकी जगह यह विधान करना चाहा था कि पार्टी में स्वयं भर्ती होने की ''व्यवस्था'' हो और ऐसे प्रत्येक ''प्रोफेसर'' और ''हाई स्कूल के विद्यार्थी को'' प्रत्येक ''हमदर्द'' और ''हड़ताली'' को पार्टी सदस्यता की ''पदवी'' दे दी जाए जो किसी भी तरह से पार्टी का समर्थन करता हो, भले ही वह पार्टी के किसी संगठन में शामिल नहीं हो और न ही शामिल होना चाहता हो। यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि पार्टी के अन्दर यह अनोखी ''व्यवस्था'' प्रतिष्ठित हो जाती तो इसमें प्रोफेसरों और हाईस्कूल के विद्यार्थियों की बाढ़ सी आ जाती और ''हमदर्दों'' के समुद्र में डूबती-उतराती हमारी पार्टी अपने आदर्श से पतित होकर एक ढीली-ढाली, असंगठित और ''श्रृंखलाहीन संगठन'' बनकर रह जाती। इस हालत में पार्टी और मजदूर वर्ग के बीच की विभाजन रेखा मिट जाती और असंगठित जन-साधारण का अगुआ दस्ते के स्तर तक उठाने का पार्टी का उद्देश्य ही गड़बड़ा जाता। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस तरह की अवसरवादी ''व्यवस्था'' में हमारी पार्टी हमारी क्रान्ति के दौरान सर्वहारा वर्ग के संगठन केन्द्र की भूमिका निभाने का कार्य करने में असमर्थ होती। लेनिन कहते हैं–

''मार्तोव के दृष्टिकोण से पार्टी की सीमारेखा बिल्कुल अस्पष्ट रहती है, क्योंकि उनके अनुसार ''प्रत्येक हड़ताली अपने को पार्टी का सदस्य घोषित'' कर सकता है। इस अस्पष्टता से क्या लाभ है? इससे पार्टी के 'नाम' का दूर-दूर तक प्रचार हो जाएगा। किन्तु इससे हानि यह होती है कि इससे विघटनकारी विचार घुस आता है, पार्टी और वर्ग गड्डमड्ड हो जाता है।''

(लेनिन–ग्रंथावली-रू.सं. खण्ड 6, पृ. 211)

किन्तु पार्टी अपने संगठनों का केवल योगफल ही नहीं; साथ ही वह उन संगठनों की एकरस व्यवस्था को भी व्यक्त करती है, वह उन संगठनों का एक अखण्ड इकाई में औपचारिक एकीकरण होती है। पार्टी नेतृत्व की उच्चतर और निचली समितियाँ होती हैं। उसके अन्दर अल्पमत को बहुमत के आगे सिर झुकाना पड़ता है और बहुमत के व्यवहारिक निर्णय सब पार्टी सदस्यों के लिए मान्य होते हैं। इन शर्तों के बिना पार्टी न तो एक एकरस, संगठित और सम्पूर्ण संस्था बन सकती है और न ही वह मजदूर वर्ग के संघर्ष का व्यवस्थित और संगठित रूप से नेतृत्व करने में समर्थ हो सकती है।

लेनिन कहते हैं–

''पहले हमारी पार्टी एक औपचारिक तौर पर संगठित दल न होकर अलग-अलग गुटों का जोड़ थी; इसलिए इन गुटों में वैचारिक प्रभाव के अलावा और कोई सम्बन्ध सम्भव न था। अब हम एक संगठित पार्टी बन गए हैं जिसका अर्थ है कि एक अथोरिटी कायम हो गई है। विचारों की शक्ति अथोरिटी की शक्ति में तब्दील हो गई है। पार्टी की निम्न बॉडियों को उच्चतर बॉडियों के मातहत होना पड़ता है।'' (उपरोक्त, पृ. 211)

अल्पमत का बहुमत के मातहत होने तथा एक केन्द्र से पार्टी कार्य का संचालन करने के सिद्धान्तों को लेकर ढीले-ढाले और डाँवाडोल विचारों वाले तत्वों की ओर से पार्टी पर 'नौकरशाही' और 'औपचारिकतावादी' संगठन होने का आरोप लगाते हुए अक्सर हमले बोले जाते हैं। यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि इन सिद्धान्तों का पालन किए बिना पार्टी न तो एक संगठित समष्टि के रूप में व्यवस्थित ढंग पर अपना कार्य कर सकती और न मजदूर वर्ग के संघर्षों का ही संचालन कर पाती। संगठन के क्षेत्र में लेनिनवाद का तात्पर्य है इन सिद्धान्तों पर दृढ़तापूर्वक अमल करना। इन सिद्धान्तों के विरोध को लेनिन ने ''रूसी ध्वंसवाद'' और ''राजसी अराजकतावाद'' का नाम दिया था। वास्तव में इस तरह का विरोध मात्र उपहास की चीज है और उसे हमें तिरस्कारपूर्वक ठुकरा देना चाहिए।

'एक कदम आगे तो दो कदम पीछे' नामक अपनी पुस्तक में लेनिन ने इन डाँवाडोल विचारों वाले तत्वों के सम्बन्ध में ये बातें लिखी हैं–

''यह राजसी अराजकवाद खास तौर पर रूसी निहिलिस्टों (ध्वंसवादियों) की विशेषता है। पार्टी संगठन को वे विशालकाय 'फैक्टरी' समझते हैं; उनके विचार से पार्टी के अंग का पूरी पार्टी के तथा अल्पमत का बहुमत के मातहत होना 'दासता' है। कुछ करुण और कुछ हास्यास्पद स्वर में वे केन्द्र की देखरेख में काम के बँटवारे के सम्बन्ध में शोरगुल करते हैं कि उससे लोग मशीन के ''कल-पुर्जे'' बन जाते हैं। पार्टी के संगठन-सम्बन्धी नियमों पर वे मुँह बिचकाते हैं और बड़ी घृणा से कहते हैं कि ''बिना नियम के ही काम चल सकता है''। मेरा ख्याल है कि कुख्यात नौकरशाही की बात करके ये लोग जो हाय-तोबा मचाया करते हैं, वह स्पष्टत: केन्द्रीय बॉडियों के कार्यकारी सदस्यों की संरचना के प्रति अपने असंतोष को ढके रखने का केवल एक बहाना है। तुम नौकरशाह हो, क्योंकि कांग्रेस ने तुम्हें मेरी इच्छाओं के विरुद्ध नियुक्त कर दिया है। तुम नियमवादी हो, क्योंकि तमु मेरी सहमति की परवाह न करके कांग्रेस के औपचारिक निर्णय के अनुसार चलते हो। तुम अपना सब काम घोर यांत्रिक ढंग से करते हो, क्योंकि केन्द्रीय बॉडियों में कॉ-आप्ट होने के संबंध में मेरी निजी इच्छाओं की ओर ध्यान न देकर तुम पार्टी कांग्रेस के यांत्रिक बहुमत के आदेशों को ही प्रमाणिक मानते हो। तुम निरंकुश हो, क्योंकि तुम आराम से बैठे छोटे से पुराने गुट[2] को पार्टी-संचालन का अधिकार दे देने के विरुद्ध हो।(संक्षिप्त लेनिन-ग्रंथावली-अं.स., खण्ड 10, पृ. 110, 280)

[2]''पुराने गुट'' से यहाँ तात्पर्य एक्सेलरोद, मार्तोव, पोत्रसौव तथा अन्य लोगों से है जो दूसरी कांग्रेस के निर्णयों के विरुद्ध थे और लेनिन पर ''नौकरशाह'' होने का आरोप लगाते थे। –जे.वी. स्तालिन

(3) पार्टी सर्वहारा के वर्ग-संगठन का उच्चतम रूप है

पार्टी मजदूर-वर्ग का संगठित दस्ता है। किन्तु वह मजदूर वर्ग का अकेला संगठन नहीं है। सर्वहारा के कितने ही अन्य संगठन भी हैं जिनके बिना वह पूँजीवाद के विरुद्ध ठीक से संघर्ष नहीं छेड़ सकता। ये संगठन है ट्रेड यूनियनें, कॉआपरेटिव सोसाइटियाँ, मिलों और कारखानों के संगठन, पार्लियामेण्टरी ग्रुप, गैर-पार्टी स्त्रियों के संगठन, प्रकाशन-संबंधी एवं सांस्कृतिक और शिक्षा-संबंधी संगठन, युवक संघ, (खुले क्रान्तिकारी संग्राम के दिनों में) लड़ने वाले क्रान्तिकारी संगठन, (अगर राज्यसत्ता पर सर्वहारा वर्ग का अधिकार हो तो) सर्वहारा के शासन व्यवस्था से संबंधित संगठनों के रूप में जन-प्रतिनिधियों की सोवियतें आदि-आदि। इनमें से अधिकांश संगठन गैर-पार्टी हैं ओर उनमें से कुछ ही प्रत्यक्ष रूप से पार्टी का अनुसरण करते हैं या उसकी शाखा-प्रशाखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में मजदूर वर्ग को इन सभी संगठनों की नितांत आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके बिना संघर्ष के विभिन्न क्षेत्रों मे सर्वहारा के वर्ग-विन्यासों का दृढ़ करना संभव नहीं होता और न पूँजीवादी व्यवस्था की जगह समाजवादी व्यवस्थ कायम करने का अपना ऐतिहासिक कर्त्तव्य पूरा करने के लिए सर्वहारा वर्ग में वह फौलादी सी मजबूत ताकत ही आ सकती है। किन्तु इतने विभिन्न संगठनों के रहते हुए एकल नेतृत्व की स्थापना कैसे हो सकती है? इसकी क्या गारण्टी है कि संगठनों की यह अनेकता नेतृत्व में भी विभिन्नता नहीं उत्पन्न कर देगी? यह दलील दी जा सकती है कि इनमें से प्रत्येक संगठन अपने-अपने विशेष क्षेत्र में ही काम करता है, अत: वह दूसरे के काम में बाधक नहीं बन सकता। यह कहना सही है। लेकिन यह भी तो सही है कि इन सभी संगठनों को एक ही दिशा में काम करना चाहिए क्योंकि इन सबका उद्देश्य एक ही वर्ग की, सर्वहारा वर्ग की सेवा करना है। तब यह प्रश्न उठता है कि इन विभिन्न संगठनों के कार्य की आम दिशा, उनकी नीति कौन निर्धारित करेगा जिसके अनुसार इन सब संगठनों के कार्यों का संचालन किया जाना है? वह केन्द्रीय संगठन कहाँ है जो न केवल अपने आवश्यक अनुभव के कारण एक आम नीति निर्धारित करने के योग्य है, बल्कि जो अपनी पर्याप्त प्रतिष्ठा के कारण अन्य संगठनों से भी इस नीति पर अमल करा सकता है और इस प्रकार परस्पर विरोधी दिशा में काम करने की संभावना को दूर करके नेतृत्व की एकता स्थापित कर सकता है?

सर्वहारा वर्ग की पार्टी ही यह संगठन है

इसलिए पार्टी के पास ये सभी आवश्यक गुण हैं। क्योंकि पहले तो वह मजदूर वर्ग के उन सर्वश्रेष्ठ तत्वों को अपने इर्द-गिर्द लामबंद करती है जिनका सर्वहारा वर्ग के गैर-पार्टी संगठनों से प्रत्यक्ष संबंध है और जो प्राय: उनका नेतृत्व भी करते हैं। दूसरे, मजदूर वर्ग के सर्वश्रेष्ठ सदस्यों को लामबंद करने का केन्द्र होने के कारण पार्टी अपने वर्ग के हर तरह के संगठन का मार्गदर्शन करने में समर्थ मजदूर वर्ग के नेताओं के प्रशिक्षण का भी सबसे अच्छा स्कूल है। तीसरे, पार्टी ही मजदूर वर्ग के नेताओं के प्रशिक्षण का सबसे अच्छा स्कूल होने के नाते अपने अनुभव और प्रतिष्ठा के कारण भी पार्टी ही वह एकमात्र संगठन है, जो सर्वहारा संघर्ष के नेतृत्व को केन्द्रित कर सकती है और इस प्रकार मजदूर वर्ग के प्रत्येक गैर-पार्टी संगठनों को अपना सहायक बना सकती है और उन्हें अपने वर्ग के साथ संबंध जोड़ने वाले सूत्र का रूप दे सकती है। पार्टी सर्वहारा के वर्ग संगठन का उच्चतम रूप है।

इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि पार्टी से बाहर के मजदूर-संगठनों, ट्रेड यूनियनों, को-ऑपरेटिव सोसाइटियों आदि को अधिकारिक तौर पर पार्टी के नेतृत्व के आधीन बना देना चाहिए। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि पार्टी के जो मेम्बर इन संगठनों में काम करते हैं और वे निस्संदेह उन संगठनों पर प्रभाव भी रखते हैं, उन्हें इन गैर पार्टी संगठनों को समझाने-बुझाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि अपने कार्य में वे सर्वहारा वर्ग की पार्टी के निकट खिंच आएं और उसके राजनीतिक मार्गदर्शन को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करें।

इसलिए लेनिन का कहना है, 'पार्टी सर्वहारा जन-समूह के वर्ग संगठन का उच्चतम रूप है', जिसका राजनीतिक नेतृत्व सर्वहारा संगठन के अन्य सभी रूपों के संगठनों पर होना चाहिए। (संक्षिप्त लेनिन-ग्रंथावली-अं.सं, खण्ड 10, पृ.11)

इसलिए गैर-पार्टी संगठनों की ''स्वाधीनता'' और ''तटस्थता'' का प्रचार करने वाला सिद्धान्त बिल्कुल अवसरवादी है और लेनिनवाद के सिद्धान्त और व्यवहार के सर्वथा प्रतिकूल है। इस अवसरवादी सिद्धान्त को मानकर चलने से पार्लियामेण्ट के स्वतंत्र विचार वाले सदस्य, पार्टी से अलग-थलग रहने वाले पत्रकार, ट्रेड युनियनों के कूपमण्डूक नेता तथा कॉ-ओपरेटिव सोसाइटियों के घुन्ने, विषयासक्त, संस्कृति के प्रति उदासीन व एकांतप्रिय अधिकारी पैदा होते हैं जो लेनिनवादी सिद्धान्त एवं व्यवहार से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं।

(4) पार्टी सर्वहारा के एकाधिपत्य का साधन है

पार्टी सर्वहारा के संगठनों का उच्चतम रूप है। वह सर्वहारा वर्ग की और उस वर्ग के संगठनों की प्रधान मार्गदर्शक शक्ति है। किन्तु इससे यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि पार्टी आप ही अपना साध्य है और अपने आप में ही परिपूर्ण शक्ति है। न केवल पार्टी सर्वहारा के वर्ग संगठन का उच्चतम रूप है बल्कि साथ ही जहाँ पर सर्वहारा वर्ग के एकाधिपत्य की अभी स्थापना नहीं हुई है वहाँ पर सर्वहारा वर्ग के हाथों में पार्टी उस एकाधिपत्य को प्राप्त करने का साधन भी है और जिन देशों में उसकी स्थापना हो चुकी है वहाँ पर पार्टी सर्वहारा वर्ग के एकाधिपत्य को सुदृढ़ करने और उसके विस्तार करने का साधन है। सर्वहारा वर्ग के विभिन्न संगठनों के आगे अगर शासन सत्ता पर अधिकार करने का प्रश्न न आता, साम्राज्यवाद की अवस्थाओं ने युद्ध की घिरती हुई घटाओं ने और बढ़ते हुए संकट ने अगर इस बात की मांग न की होती कि पूँजीवादियों को राजसत्ता से उखाड़ फेंककर उनके स्थान पर सर्वहारा वर्ग के एकाधिपत्य की स्थापना करने के लिए मजदूर वर्ग की सभी शक्तियों को एक स्थान पर केन्द्रित किया जाए और आन्दोलन के सभी सूत्रों को एक ही जगह से संचालित किया जाए, अगर ये सब बातें न हुई होती तो न तो पार्टी का महत्व ही इतना अधिक बढ़ जाता और न ही वह सर्वहारा वर्ग के विभिन्न संगठनों में सर्वप्रमुख स्थान ही ग्रहण कर पाती। सर्वहारा वर्ग को पार्टी की जरूरत सर्वप्रथम अपनी सेनापति मण्डली के रूप में है जिससे कि वह शासन सत्ता पर सफलतापूर्वक कब्जा कर सके। यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि रूसी सर्वहारा वर्ग के पास यदि एक ऐसी पार्टी न होती जो सर्वहारा वर्ग के समस्त जन-संगठनों को अपने इर्दगिर्द लामबंद करने में और संघर्ष की प्रगति के समय उसके सम्पूर्ण आन्दोलन का नेतृत्व अपने हाथ में केन्द्रित करने में समर्थ थी, तो रूस का सर्वहारा वर्ग अपना क्रान्तिकारी एकाधिपत्य भी स्थापित नहीं कर पाता।

किन्तु सर्वहारा वर्ग को केवल अपने एकाधिपत्य की स्थापना के लिए ही पार्टी की आवश्यकता नहीं है बल्कि उस एकाधिपत्य को बनाए रखने, उसे सुदृढ़ करने और फैलाने के लिए उसे पार्टी की इससे भी अधिक आवश्यकता है ताकि समाजवाद की पूर्ण विजय प्राप्त की जा सके।

लेनिन कहते हैं– (शेष पृष्ठ 5 पर)

पार्टी

(पृष्ठ 4 का शेष)

''अगर पार्टी के भीतर कठोर और सचमुच फौलादी अनुशासन न होता, अगर मजदूर-वर्ग के संपूर्ण जन समुदाय ने अर्थात् उस वर्ग के समस्त चिन्तनशील, ईमानदार, आत्मत्यागी और प्रभावशाली तत्वों ने जो पिछड़े हुए स्तर के लोगों का नेतृत्व करने की या उनको साथ लेकर चलने की क्षमता रखते थे, उन सब लोगों ने बोल्शेविकों की खुलकर और भरपूर सहायता न की होती तो ढाई साल तो बहुत अधिक है, ढाई महीने भी वे शासन का अधिकार अपने हाथ में न रख पाते। आज लगभग हर आदमी इस बात को स्वीकार करने लगा है।'' (संक्षिप्त लेनिन-ग्रंथावली-अं.सं., खण्ड 10, पृ. 60)

अब सर्वहारा वग के एकाधिपत्य को ''बनाए रखने'' और ''विस्तृत'' करने का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है करोड़ों सर्वहारा लोगों में अनुशासन और संगठन की भावना का संचार करना, उसका अर्थ है सर्वहारा जनसमूह को निम्न-पूँजीवादी तत्वों के और निम्न पूँजीवादी आदतों के क्षयकारी प्रभाव से बचाने के लिए उसके अन्दर मजबूत एकता की शक्ति और मजबूत किला तैयार करना, उसका अर्थ है निम्न-पूँजीवादी स्तर के लोगों को नए सांचे में ढालने और नए तरह से शिक्षित करने के लिए सर्वहारा वर्ग के संगठनात्मक कार्य को शीघ्रता से आगे बढ़ाना और उसका अर्थ है सर्वहारा जन-समूह को एक शक्ति के रूप में इतना शिक्षित-दीक्षित करने में सहायता देना कि वह समाजवादी उत्पादन के संगठन के अनुकूल अवस्थाएं तैयार करने के योग्य बन सके और वर्गों का अंत करने में सफल हो। किन्तु जब तक हमारे पास ऐसी पार्टी न हो जो एकजुटता और अनुशासन के कारण सबल हो तब तक यह सब कार्य करना असंभव है।

लेनिन कहते हैं–

''सर्वहारा-एकाधिपत्य एक अनवरत संघर्ष है जो पुराने समाज की शक्तियों और परम्पराओं के विरुद्ध शान्तिपूर्ण और अशान्तिपूर्ण, हिंसात्मक और अहिंसात्मक तथा सैनिक और आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक है। लाखों-करोड़ों मनुष्यों की पुरानी आदतों की शक्ति एक अत्यंत भयंकर शक्ति है। अतएव संघर्ष की आँच में तपकर इस्पात जैसी दृढ़ बनी हुई एक पार्टी के बिना, अपने वर्ग के समस्त ईमानदार लोगों की विश्वासपात्र पार्टी के बिना, जनता के मिजाज को परखने और उन्हें बदलने में समर्थ एक पार्टी के बिना इस तरह के संघर्ष का सफलतापूर्वक संचालन करना असंभव है।''

(संक्षिप्त लेनिन-ग्रंथावली-अं.सं., खण्ड 10, पृ. 84)

अपना एकाधिपत्य स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए सर्वहारा वर्ग को पार्टी की आवश्यकता है। पार्टी सर्वहारा वर्ग के एकाधिपत्य को स्थापित करने का एक साधन है।

किन्तु इसी से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब वर्ग भेद मिट जाएगा और सर्वहारा वर्ग के एकाधिपत्य का लोप हो जाएगा, तब पार्टी का भी लोप हो जाएगा।

(5) पार्टी संकल्प की एकता की प्रतीक है; अतएव इसमें गुटबन्दी का कोई स्थान नहीं है

एकता और फौलादी अनुशासन के बलबूते पर मजबूत पार्टी के बिना सर्वहारा वर्ग का एकाधिपत्य स्थापित करना या उसे बनाए रखना असम्भव है। किन्तु पार्टी के भीतर जब तक उसके सदस्यों की ओर से इच्छाशक्ति की एकता न हो, जब तक उसके सब सदस्यों की ओर से कार्रवाई की पूर्ण और निश्चित रूप से एकता न हो, तब तक फौलादी अनुशासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किन्तु निश्चय ही इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पार्टी में मतों के संघर्ष के लिए कोई स्थान नहीं है। बात ठीक इसके विपरीत है। फौलादी अनुशासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि पार्टी के भीतर आलोचना और मत-संघर्ष के लिए पूरा मौका हो। फौलादी अनुशासन का अर्थ ''अन्धा'' अनुशासन–अर्थात् आँख मूंदकर हुकुम बजाना तो कतई नहीं है। उसी तरह यह भी आवश्यक है कि पार्टी का अनुशासन आंख मूंदकर नहीं बल्कि सचेत और स्वेच्छापूर्वक माना जाए, क्योंकि सोच-समझकर माना हुआ अनुशासन ही सचमुच फौलादी अनुशासन हो सकता है। किन्तु सम्पूर्ण वाद-विवाद के बाद जब कोई निश्चय कर लिया जाता है और मतामत का संघर्ष बन्द कर दिया जाता है, तब फिर पार्टी के तमाम सदस्यों में इच्छाशक्ति और कार्रवाई की पूर्ण एकता का होना आवश्यक शर्त है। इसके बिना न तो पार्टी एकता की कल्पना की जा सकती और न ही फौलादी अनुशासन की।

लेनिन कहते हैं–

''तीव्र गृह युद्ध के इस युग मे कम्युनिस्ट पार्टी अपना कर्तव्य पूरा करने में तभी समर्थ हो सकती है जब वह अत्यन्त केन्द्रित ढंग से संगठित हो, उसके भीतर सैनिक अनुशासन के समान कठोर फौलादी अनुशासन हो, उसका केन्द्रीय संगठन शक्तिशाली और ॲथोरटेटिव हो, उसे काफी विस्तृत अधिकार हों और पार्टी के समस्त सदस्यों का उस पर भरोसा हो।''

(संक्षिप्त लेनिन-ग्रन्थावली अं.सं., खण्ड 10, पृ. 204)

सर्वहारा वर्ग के एकाधिपत्य की स्थापना से पूर्व के संघर्षकाल में पार्टी के भीतर अनुशासन के सम्बन्ध में यह है स्थिति यह कहना होगा कि सर्वहारा के एकाधिपत्य की स्थापना के बाद वाले युग में अनुशासन की और भी अधिक आवश्यकता है और कड़े अनुशासन की आवश्यकता है।

लेनिन कहते हैं–

''जो व्यक्ति सर्वहारा वर्ग की पार्टी के फौलादी अनुशासन को (विशेषकर सर्वहारा एकापित्य के काल में) किसी भी मात्रा में घटाने की कोशिश करता है, वह वास्तव में सर्वहारा वर्ग के विरुद्ध पूँजीपतियों को सहायता देता है।'' (संक्षिप्त लेनिन-ग्रंथावली अं. सं., खण्ड 10, पृ. 84)

किन्तु इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पार्टी के अन्दर गुटों का होना उसकी एकता अथवा उसके कठोर अनुशासन की भावना से मेल नहीं खाता। यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि पार्टी के भीतर गुटबन्दी होने से पार्टी में एक साथ कई केन्द्र हो जाते हैं, पार्टी के एक सामान्य केन्द्र का लोप हो जाता है और फलत: इच्छाशक्ति की एकता टूट जाती है, अनुशासन छिन्न-भिन्न होकर कमजोर हो जाता है। जिससे कि सर्वहारा वर्ग का एकाधिपत्य निर्बल और अस्त-व्यस्त होने लगता है। सर्वहारा के एकाधिपत्य के विरुद्ध जिहाद करने वाली और सत्ता पर सर्वहारा के कब्जे करने की लड़ाई में नेतृत्व देने की कोई इच्छा नहीं रखने वाली दूसरे इण्टरनेशनल की पार्टियाँ निश्चय ही गुटबन्दी की स्वाधीनता देने की उदारता दिखला सकती हैं, क्योंकि उन्हें फौलादी अनुशासन जैसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। किन्तु सर्वहारा वर्ग के एकाधिपत्य की जड़ जमाने और उसे मजबूत करने के उद्देश्य से काम करने वाली कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल की पार्टियों में गुटबन्दी की स्वाधीनता जैसी ''उदारता'' दिखाने के लिए कोई स्थान नहीं है। पार्टी इच्छाशक्ति की एकता की प्रतीक है, अतएव उसके अन्दर गुटबाजी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और न ही उसमें अथोरिटी (नेतृत्व) का विभाजन हो सकता है।

''पार्टी की एकता को ध्यान में रखते हुए गुटबाजी के खतरे से सावधान रहना चाहिए और सर्वहारा वर्ग के अगुआ दस्ते में इच्छाशक्ति की पूर्णतम एकता स्थापित करनी चाहिए। यही सर्वहारा के एकाधिपत्य की सफलता की बुनियादी शर्त है।''

हमारी पार्टी की दसवीं कांग्रेस के ''पार्टी की एकता के बारे में'' नामक विशेष प्रस्ताव में लेनिन की यह चेतावनी अंकित की गई है।

इसलिए लेनिन ने मांग की थी कि ''गुटबाजी को पार्टी से दूर कर दिया जाए'' और ''तरह-तरह का कार्यक्रम लेकर बने हुए तमाम गुटों को तुरन्त भंग कर दिया जाए'' और अगर वे ऐसा मानने के लिए न तैयार हों तो उन्हें ''बिना किसी शर्त के पार्टी से तुरन्त निकाल बाहर किया जाए।'' (उपरोक्त पृ. 133-34)

(6) अवसरवादी तत्वों को निकाल देने से पार्टी मजबूत होती है

पार्टी के अन्दर अवसरवादी तत्वों का होना ही गुटबन्दी का स्रोत है। सर्वहारा वर्ग कोई अलग-थलग वर्ग नहीं है। पूँजीवाद के विकास के साथ सर्वहारा होकर कितने ही किसान, निम्न पूँजीपति और बुद्धिजीवी लोग सर्वहारा वर्ग में लगातार गिरते और उसमें शामिल होते रहते हैं। साथ ही सर्वहारा वर्ग के ऊपरी स्तर के लोगों का, प्रधानतया ट्रेड यूनियन नेताओं और पार्लियामेण्ट में बैठने वाले मजदूर सदस्यों का पतन होता रहता है। शोषक पूँजीपति उपनिवेशों से लूटे अपने भारी मुनाफे में से जब तब दो-चार टुकड़े उन्हे फेंक दिया करते हैं। इनके सम्बन्ध में लेनिन कहते हैं कि, ''बुर्जुआ रंग-ढंग में रंग गये मजदूरों का यह तबका या 'मजदूर अभिजात्य वर्ग' जो अपने रहन-सहन, अपनी कमाई के आकार और अपने समूचे दृष्टिकोण में पूरी तरह से फिलिस्टाइन है, यही तबका दूसरे इण्टरनेशनल का प्रधान-स्तम्भ है और यही तबका, हमारे समय में, पूँजीपतियों के सामाजिक (सामरिक नहीं) स्तम्भ बना हुआ है। मजदूर आन्दोलन के भीतर ये लोग पूँजीपतियों के पक्के दलाल और पूँजीपति वर्ग के मजदूर सिपहसालार(लेबर लेफ्टिनेन्ट) हैं। ये ही सब तरह के सुधारवाद और अंधराष्ट्रवाद के असली माध्यम हैं।'' (संक्षिप्त लेनिन-ग्रन्थावली अं.सं., खण्ड 5, पृ.12)

इन निम्न-पूँजीवादी तबकों के लोग किसी न किसी तरह से पार्टी में घुस आते हैं और उसमें हिचकिचाहट और अवसरवादिता, पस्त हिम्मती और अनिश्चयता की भावना फैलाते हैं। प्रधानतया ये ही लोग पार्टी के भीतर गुटबन्दी और विखण्डन के, विघटन और विछिन्नता के स्रोत बनते हैं। इस तरह की 'मित्र शक्तियों' को साथ लेकर साम्राज्यवाद से लोहा लेने का अर्थ है आगे और पीछे दोनों ओर से आग की लपटों में घिर जाना। अतएव इन तत्वों के विरुद्ध निर्मम संघर्ष करके उन्हें पार्टी से निकालकर बाहर करना साम्राज्यवाद से सफलतापूर्वक लड़ने की पूर्व शर्त है।

पार्टी के अन्दर सैद्धान्तिक संघर्ष के जरिये अवसरवादी तत्वों कों ''परास्त करने'' का सिद्धान्त, एक ही पार्टी के दायरे में रह कर इन तत्वों पर 'काबू पाने' का सिद्धान्त एक सड़ा-गला और खतरनाक सिद्धान्त है, जो पार्टी को लकवाग्रस्त कर देने और स्थायी रूप से कमजोर बना देने का खतरा पैदा कर देता है, पार्टी को अवसरवाद का शिकार बन जाने का खतरा पैदा कर देता है, सर्वहारा को एक क्रान्तिकारी पार्टी के बिना छोड़ देने का, साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में सर्वहारा को इसके मुख्य हथियार से वंचित कर देने का खतरा पैदा कर देता है। अगर हमारी पार्टी की पाँतों में भी मार्तोव और दान, पोत्रेसौव और एक्सेलरोद जैसे लोग बने रहते तो न तो वह क्रान्ति के राज-पथ पर अग्रसर होकर राजसत्ता पर ही अधिकार कर पाती और न ही सर्वहारा वर्ग का एकाधिपत्य संगठित कर पाती, न ही गृहयुद्ध में विजयी होती। अपने भीतर अन्दरूनी एकता और अनुपम सुसंहति की भावना उत्पन्न करने में हमारी पार्टी मुख्यतया इसीलिए सफल हुई कि उसने ठीक समय पर अपने भीतर की अवसरवादी गन्दगी को धो डाला और मेन्शेविकों और विसर्जनवादियों से पिण्ड छुड़ा लिया।

इन अवसरवादियों और सुधारवादियों, सोशल-साम्राज्यवादियों और सोशल-अन्धराष्ट्रवादियों, सोशल-देशभक्तों और सोशल-शान्तिवादियों को पार्टी से निकाल बाहर कर खुद के परिष्करण के जरिए सर्वहारा पार्टियाँ विकसित होती हैं और मजबूत हो जाती हैं। अपने अन्दर से अवसरवादी तत्वों को बाहर निकाल फेंकने के जरिए पार्टी मजबूत बनती है।

लेनिन कहते हैं–

''हमारी पार्टी पांतो के भीतर सुधारवादियों और मेन्शेविकों के रहते हुए सर्वहारा क्रान्ति में न तो विजय प्राप्त हो सकती है और न विजय के बाद इसकी रक्षा की जा सकती है। सैद्धान्तिक रूप में तो यह बात स्पष्ट ही है, रूस और हंगरी के अनुभव ने उसे और भी अच्छी तरह प्रमाणित कर दिया है। .....रूस में कई बार ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि यदि उस समय हमारी पार्टी में मेन्शेविक, डेमोक्रेट तथा सुधारवादी और निम्न-पूँजीवादी लोग मौजूद होते, तो सोवियत राज का अस्तित्व निश्चय ही मिट जाता। .....इटली में.....जैसा कि सभी का मानना है राजसत्ता पर कब्जा करने के लिए सर्वहारा वर्ग और पूँजीपतियों के बीच निर्णायक लड़ाइयाँ छिड़ने वाली हैं। ऐसे समय में न केवल मेन्शेविकों, सुधारवादियों और तुराती-पंथियों को पार्टी से निकाल बाहर करना नितान्त आवश्यक है बल्कि साथ ही अच्छे-अच्छे कम्युनिस्टों के बारे में भी किसी तरह की डगमगाहट का सन्देह हो और उनका झुकाव सुधारवादियों से 'एकता' की ओर दिखाई देता है तो उन्हें सभी उत्तरदायित्वपूर्ण जगहों से हटा देना लाभप्रद होगा। क्रान्ति की पूर्ववेला में जब भीषण संघर्ष चल रहा हो, उस समय पार्टी के भीतर हल्की-सी हिचकिचाहट से भी सब कुछ चौपट हो जा सकता है, क्रान्ति धूल में मिल जा सकती है और सर्वहारा के हाथों से सत्ता छिन सकती है क्योंकि सर्वहारा वर्ग का शासन तब तक सुदृढ़ नहीं हुआ होता है और उस पर पूँजीवादियों के शक्तिशाली प्रहार होते रहते हैं। ऐसे समय में आगा-पीछा करने वाले नेताओं के हट जाने की पार्टी की, मजदूर-आन्दोलन की और क्रान्ति की शक्ति कमजोर नहीं होती बल्कि और मजबूत हो जाती है।'' (संक्षिप्त लेनिन-ग्रन्थावली अं.सं., खण्ड 9, पृ. 256-258

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

(पृष्ठ 2 का शेष)

महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के लिए समुचित ठोस कदम उठाने और फिल्मों, टीवी, इंटरनेट व अन्य प्रचार माध्यमों के जरिये नारी देह के अश्लील चित्रण व अश्लीलता और हिंसा के प्रसारण की कारगर रोकथाम करने की मांग की गई। सभा का संचालन एआईएमएसएस की संगठक कॉमरेड संतोष श्योराण ने किया। सभा को ऑल इण्डिया काउन्सिल सदस्य कॉमरेड प्रीतिलता व कॉमरेड निशा शर्मा ने भी सम्बोधित किया।

कटक (ओडिशा) : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्वसंध्या पर एआईएमएसएस व एआईडीवाईओ ने सरकार से शराब, अश्लील फिल्मों व गानों पर रोक लगाने और महिलाओं व छात्राओं की हिफाजत और इज्जत-आबरू बचाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की मांग की। इन संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में गौरीशंकर पार्क से कटक कलैक्ट्रेट तक एक जलूस निकाला गया। कटक कलैक्ट्रेट पर प्रदर्शनकारियों को एमएसएस की संगठक कॉ. शिप्रा मोहंती, सस्मिता साहू और डीवाईओ के संगठक कॉ. दीपक दास व सस्मिता मोहंती ने सम्बोधित करते हुए महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों व अपराधों की कारगर रोकथाम करने की नीति अपनाने में विफलता और यौन अपराध व छेड़छाड़ के अपराध में संलिप्त पुलिस-फौज के अधिकारियों को सामान्य आईपीसी व सीआरपीसी के दायरे में लाने की वर्मा कमेटी की सिफारिशों को तव्वजो नहीं देने पर सरकार की कड़ी निन्दा की।

जबलपुर (म.प्र.) : महिलाओं पर बढ़ते अपराधों और अत्याचारों के खिलाफ 8 मार्च को ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन द्वारा जिलाधीश कार्यालय पर एक प्रदर्शन किया गया और उनकी मार्फत सूचना एवं प्रसारण मंत्री और मुख्य मंत्री, म. प्र. शासन, भोपाल को सम्बोधित एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में ए.आई.एम.एस.एस. की जबलपुर अध्यक्ष श्रीमती चन्द्रा पात्रा, सरिता झा, प्रेमलता झा, श्वेता कन्नौजिया, कुसुमलता साहू, माया गोस्वामी, गोदावरी वलैया, मनोरमा उदैनिया, आशा कुशवाहा, लक्ष्मी चौधरी, पिंकी चौधरी, गुड्डी चौधरी, नीतू चौधरी, मनीषा कहार, कु. सोहन सारण ने शिरकत की।

ज्ञापन में प्रचार माध्यमों से अश्लीलता व हिंसा फैलाना बंद करने, विज्ञापनों में नारी देह प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने, अश्लील विज्ञापनों पर रोक लगानें, रिहायसी इलाकों में शराब की दुकानों को लाइसेंस देना बंद करने, स्कूल स्तर पर जूडो-कराटे पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने, आठवीं कक्षा तक पास-फेल प्रथा शुरू करने, जीवनोपयोगी वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने, सभी जरूरतमंदों के गरीबी रेखा राशन कार्ड बनानें, महिलाओं को रोजगार सुनिश्चित करने और समान काम के लिए समान मजदूरी देने की मांग की गई।

आरोन (म.प्र.): 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के अधिकार और देश के सांस्कृतिक माहौल के बारे में आरोन नगर में महिला सांस्कृतिक संगठन की आरोन इकाई के द्वारा रविवार को एक सांस्कृतिक सभा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी की। कार्यक्रम में संगठन की गुना जिला सचिव निधि श्रीवास्तव ने अपने सम्बोधन में महिलाओं को 8 मार्च का ऐतिहासिक महत्व बताते हुए वर्तमान में समाज में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों और समाज के बिगड़ते सांस्कृतिक माहौल के लिए आज की पूंजीवादी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। संगठन की नगर सचिव शमा परवीन ने महिलाओं को सम्बोधित करते हुये महिलाओं को संगठित होकर आदोलन में आगे आने का आह्वान किया ।

रेल में बच्ची पर यौन अपराध के खिलाफ प्रदर्शन

मुरादाबाद (उ.प्र.) : लखनऊ-चण्डीगढ़ एक्सप्रेस (सुपरफास्ट) में शराब के नशे में एक नवयुवक द्वारा 8-10 साल की एक बच्ची से बलात्कार के प्रयास की घटना को लेकर एआईएमएसएस और एआईडीएसओ के संयुक्त तत्वावधान में यहां मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जन आन्दोलन के दबाव के चलते आखिर अभियुक्त के खिलाफ धारा 376 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करना पड़ा।

भ्रूण हत्या पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का एआईएमएसएस द्वारा स्वागत

5 मार्च को जारी एक बयान में ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन(एआईएमएसएस)की महासचिव डॉ. जयालक्ष्मी ने भ्रूण हत्या पर नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों को दिये सुपीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत करते हुए सुझाये गये ठोस कदमों का अनुमोदन किया है जैसे कि इस कानून पर हो रहे अमल को सुपरवाइज करने के लिए पीएन और पीएन व पीएनडीटी एक्ट की धारा 7 और 16 ए के तहत गठित सेण्ट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड और राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशों के सुपरवाइजरी बोर्डों की मीटिंग 6 महीने में एक बार होगी, राज्य सलाहकार समिति को इस कानून के प्रावधानों व नियमों के उल्लंघन के बारे में सूचना इकट्ठी करनी चाहिए और किसी उल्लंघन के मामले में रिकार्ड को जब्त करने, मशीनों को सील करने और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को 3 महीने के अन्दर सभी पंजीकृत और अपंजीकृत अल्ट्रा सोनोग्राफी क्लिनिकों का नक्शा बनाना चाहिए और गैरकानूनी तौर पर इस्तेमाल की जाने पर फौजदारी दण्ड विधान के तहत मशीनों को जब्त कर लेना चाहिए और बेच दिया जाना चाहिए, अदालतों को सभी लम्बित केसों को 6 महीने में निपटा देना चाहिए। राज्य को 6 महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए।

एआईएमएसएस का दृढ़ मत है कि अगर ये कदम उठाये गये तो इस जघन्य अपराध की रोकथाम की जा सकेगी। एमटीपी कानून में भी संशोधन करना आवश्यक है ताकि 10 सप्ताह के बाद गर्भपात न कराया जा सके क्योंकि 10 सप्ताह से पहले भ्रूण के लिंग का पता नहीं लगाया जा सकता और एमटीपी करने वाले डॉक्टर को दूसरे प्रसव-विज्ञानी डॉक्टर और बाल-रोग चिकित्सक से सहमति लेनी चाहिए।

एआईएमएसएस केन्द्र व राज्य सरकारों से आग्रह करती है कि अगर वे भ्रूण हत्या की इस बुराई को दूर करने में वास्तव में गंभीर हैं तो इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

रोहतक में सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड छाया मुखर्जी

राज्य स्तरीय जन-प्रतिरोध सम्मेलन आयोजित

लखनऊ (उ.प्र.) : महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगी शिक्षा आदि जन-जीवन की ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ देशव्यापी जन-प्रतिरोध आन्दोलन खड़ा करने हेतु 3 मार्च को रवीन्द्रालय सभागार, चारबाग लखनऊ, उ.प्र. में एक राज्य स्तरीय जन-प्रतिरोध सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता जाने माने साहित्यकार व वरिष्ठ नवगीतकार श्री माहेश्वर तिवारी ने और संचालन विज्ञानकर्मी व इंजीनियर श्री जय प्रकाश मौर्य ने किया।

सभा की शुरूआत में प्रतिभागियों के समक्ष सम्मेलन के उद्देश्य को स्पष्ट करने हेतु इसका मूल प्रस्ताव राजवेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, इलाहाबाद हाइकोर्ट, द्वारा पढ़ा गया। तत्पश्चात् वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व आजाद हिन्द फौज (आईएनए) के कैप्टेन श्री एस.के. बर्धन का संदेश पढ़ा गया। आगे, इसी क्रम में, मुख्य वक्ताओं में वरिष्ठ पत्रकार (स्तम्भकार) श्री प्रभात कुमार राय, पूर्व प्राचार्य व शिक्षाविद् श्री शिव शंकर मिश्र, एडवाकेट श्री राम सुन्दर यादव, राज्य सरकार से अवकाश प्राप्त अनुसचिव श्री पीएन त्रिपाठी, उर्दू एकेडमी के भूतपूर्व अध्यक्ष व अवकाश प्राप्त उर्दू प्रोफेसर डॉ. असमत मलिहाबादी, समाजसेवी व साहित्यकार श्री आरडी आनन्द, वैज्ञानिक डॉ. मानवेन्द्र नाथ बेरा और समाजसेवी व वरिष्ठ किसान नेता माननीय बेचन अली जी ने अपने-अपने वक्तव्यों में जन-जीवन की ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ एक सशक्त जन-आन्दोलन पर बल दिया। वक्ताओं की ही कड़ी के रूप में, अन्त में, वरिष्ठ साहित्यकार श्री मुद्राराक्षस, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी नियाज अहमद खान और सीएमपी डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद के चीफ प्रॉक्टर डॉ. आरबीएल श्रीवास्तव के संदेश पढ़े गये।

आन्दोलन को चलाने के लिए एक 23 सदस्यीय राज्य स्तरीय जन-प्रतिरोध आन्दोलन समिति का गठन किया गया जिसके तीन सदस्यीय सलाहकार मण्डल में कैप्टेन एसके बर्धन, आजाद हिन्द फौज (आईएनए), लखनऊ, श्री मुद्राराक्षस, वरिष्ठ साहित्यकार, लखनऊ व चौधरी नियाज अहमद खान, वरिष्ठ अधिवक्ता, हाईकोर्ट इलाहाबाद का चयन किया गया।

राज्य स्तरीय जन-प्रतिरोध आन्दोलन समिति के सदस्य और कार्यकारिणी सदस्य ये चुने गये : अध्यक्ष- श्री माहेश्वर तिवारी, वरिष्ठ नवगीतकार, मुरादाबाद, उपाध्यक्ष- डॉ. राम अवतार सिह, जौनपुर, श्री प्रभात कुमार राय, मेरठ, डॉ. असमत मलिहाबादी, लखनऊ व श्री शिव शंकर मिश्र, प्रतापगढ़, सचिव - श्री पीएन त्रिपाठी, लखनऊ, सहसचिव- डॉ. धीरेन्द्र कुमार पटेल, जौनपुर, डॉ. आरबीएल श्रीवास्तव, इलाहाबाद, श्री रामसुन्दर यादव, सुल्तानपुर व श्री राजवेन्द्र सिंह, इलाहाबाद और कोषाध्यक्ष-श्री जय प्रकाश मौर्य, लखनऊ।

इसके अलावा एक 12 सदस्यीय परिषद भी चुनी गई।

सम्मलेन में प्रदेश के कोने-कोने से हजारों प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया व जनान्दोलन को तेज करने का संकल्प लिया तथा प्रदेश कमेटी ने प्रदेश के करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर कराकर नवम्बर 2013 में लखनऊ विधानसभा पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। अन्त में अध्यक्षीय सम्बोधन में वरिष्ठ नवगीतकार श्री माहेश्वर तिवारी ने आर-पार की लड़ाई के लिए प्रदेश की जनता को तैयार होने के लिए आह्वान किया।

भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

नारनौल (हरियाणा) : 11 मार्च को एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा जिला महेन्द्रगढ़ के प्रधान कॉ. सीताराम की अध्यक्षता में सुभाष पार्क में सभा हुई। इसमें सैकड़ों कारीगर-मजदूरों ने भाग लिया। उसके बाद प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पंहुचे और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में जिला महेन्द्रगढ़ में लेबर आफिस खोलने, रेवाड़ी की बजाय महेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय पर ही मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल और निशुल्क बनाने, पुराने रजिस्ट्रेशनों को रिन्यू करवाने, कल्याण बोर्ड से मिलने वाले हित-लाभों की राशि बढ़ाने, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने, दुर्घटना में घायल के मुफ्त इलाज व मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने, सभी कारीगर-मजदूरों के बीपीएल के समान गुलाबी राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड बनाने व सस्ता राशन देने और काम पर आने-जाने के लिए मुफ्त साइकिल देने की मांग की गई। इस अवसर पर यूनियन के प्रांतीय प्रधान कॉमरेड रामफल, प्रांतीय सचिव कॉ. बलराम, जिला सचिव कॉ. महेश कुमार, यूनियन के खजांची कॉ. ओमप्रकाश, खेतमजदूर फैडरेशन जिला महेन्द्रगढ़ के प्रधान कॉ. सुभाष, ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन के जिला प्रधान कॉ. बलबीर ने भी कारीगर-मजदूरों को सम्बोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि जिला में लेबर आफिस न होने से मजदूरों को रजिस्ट्रेशन और लेबर समस्याओं के लिए रेवाड़ी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। सरकार, प्रशासन व ठेकेदार इन्हें ये सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए कतई गंभीर नहीं हैं। उल्टे वे रजिस्ट्रेशन व सामाजिक सुरक्षा लाभ पाने की प्रक्रिया जटिल बनाकर, तरह तरह की नाजायज शर्तें थोप कर और कागजी कार्रवाई बढ़ाकर इन लाभों को पाने में बाधा डाल रहे हैं। यही वजह है कि 1996 से अब तक बहुत ही कम मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है। ज्यादातर मजदूर-कारीगर ये लाभ पाने से वंचित हैं।

सड़क बनाने की मांग लेकर प्रदर्शन

मुरादाबाद उ.प्र.) : पुतलीघर रोड़ बनाओ अभियान समिति, मुरादाबाद के तत्वावधान में यहां 20 फरवरी को रेलवे सैकेण्ड एण्ट्री से मण्डी समिति तक अनुपयोगी एवं मृत घोषित रेलवे लाइन को उखाड़ कर उसके स्थान पर पक्की सड़क बनाने की मांग लेकर पुतलीघर रेलवे लाइन हनुमाननगर क्षेत्रवासियों का एक जुलूस जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला गया। जुलूस हनुमाननगर, रामलीला ग्राउण्ड, प्रकाशनगर चौराहा, कपूर कम्पनी, गुरहट्टी होता हुआ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा को एआईडीवाईओ के प्रदेशाध्यक्ष कॉ. हरकिशोर सिंह ने सम्बोधित किया। समिति के सचिव व अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को उ.प्र. के मुख्यमंत्री के नाम क्षेत्रवासियों द्वारा हस्ताक्षरित (3540 हस्ताक्षरयुक्त) ज्ञापन सौंपा।

महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ

नागरिक सम्मेलन

दिलशाद गार्डन (दिल्ली): महिलाओं पर बढ़ते यौन अपराधों एवं अत्याचारों के विरुद्ध 10 मार्च 2013 को दिलशाद गार्डन क्षेत्र में एक नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में स्थानीय निवासियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। स्थानीय लोगों ने प्रस्तुत विषय पर अपनी चिन्ता जताते हुए एक सांस्कृतिक आन्दोलन की आवश्यकता को स्वीकार किया। सम्मेलन की अध्यक्षता दिलशाद गार्डन क्षेत्र के निवासी और 'दामिनी' काण्ड के विरुद्ध चले आन्दोलन से जुड़े श्री रामचन्द्र आर्य ने की। सभा का संचालन मो. आसिफ द्वारा किया गया। सभा में कॉ. हरीश त्यागी, श्रीमती सीता सिंह, श्री आर. के. भट्ट, श्री विनोद नोटियाल आदि क्षेत्रीय निवासियों एवं आन्दोलनकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में श्री जी. एस. सिंह द्वारा नागरिक समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा की गई। यह सम्मेलन निम्न स्थानों पर हुए सेमिनारों की परिणति के रूप में किया गया था: वसुन्धरा (गा.बाद) में 17 फरवरी को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती सीता सिंह ने की एवं संचालन रामउद्गार ने किया। बृजविहार (गा.बाद) में 24 फरवरी को बृज विहार के एक स्थानीय पार्क में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता एवं संचालन श्री. जी.एस. सिंह ने किया। 3 मार्च को राजेन्द्र नगर (गा.बाद) में 'महिलाओं पर बढ़ते अपराध' नामक विषय पर चर्चा का आयोजन किया गया जिसका संचालन एवं अध्यक्षता श्रीमती सीता सिंह द्वारा की गई।

शहीद चन्द्रशेखर आजाद के शहीदी दिवस पर सभा

सभा को सम्बोधित करते हुए प्रो. नरेन्द्र शर्मा

भोपाल (म.प्र.) : आजादी आन्दोलन की समझौताहीन संघर्ष की धारा के महान क्रान्तिकारी और क्रान्तिकारी दल एच.एस.आर.ए. के कमाण्डर इन चीफ चन्द्रशेखर आजाद का 82वां शहीदी दिवस 27 फरवरी को यहां सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चन्द्रशेखर आजाद यादगार कमेटी, भोपाल द्वारा पूरे सप्ताह भर का कार्यक्रम लिया गया। इसके तहत राज्य की राजधानी के कई विद्यालयों व महाविद्यालयों में ओपन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम का भव्य समापन समारोह स्थानीय सेण्ट्रल लाइब्रेरी में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सौरभ मुखर्जी व आमंत्रित वक्ता के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कालेज के प्रो. नरेन्द्र शर्मा, श्रीमती प्राची सक्सेना और स्वतंत्रता सेनानी मुख्तार खान मंच पर उपस्थित थे।

कार्यक्रम का संचालन समिति के स्थानीय प्रभारी विनोद लोगरिया ने किया।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2012-2014
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Printing : 20 March, 2013

राष्ट्रपति हुगो शावेज के निधन पर आईएसीसी ने गहरा शोक प्रकट किया

वेनेजुएला के राष्ट्रपति हुगो शावेज की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करते हुए इंटरनेशनल एंटी-इंपीरियलिस्ट कॉर्डिनेटिंग कमेटी(आईएसीसी) के महासचिव कॉमरेड माणिक मुखर्जी ने 6 मार्च को जारी एक प्रैस बयान में यह शोक संदेश दिया,

''केन्सर के खिलाफ लम्बी और साहसिक लड़ाई लड़ने के बाद बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति कमाण्डेण्ट हुगो शावेज की मृत्यु से दुनिया भर में साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्षरत लोगों को गहरा सदमा पहुंचा है। राष्ट्रपति हुगो शावेज साम्राज्यवाद के खिलाफ, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका की साम्राज्यवादी चालबाजियों के खिलाफ जेहाद छेड़ने वाले एक बहादुर योद्धा थे। साम्राज्यवाद के खिलाफ उनकी दृढ़प्रतिज्ञ लड़ाई ने सभी देशों के स्वतंत्रता-प्रेमी लोगों को प्रेरित किया है और अमेरिकी आक्रमण के खिलाफ एक जोशीला रुख अपनाने के लिए लैटिन अमरिकी देशों की जनता को जगाया है। उन्होंने वेनेजुएला की जनता का अपनी राष्ट्रीय सम्प्रभुता की रक्षा करने और साम्राज्यवादी आक्रमण, दमन और अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष में नेतृत्व किया। आईएसीसी उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है और उनकी इतनी बड़ी क्षति के लिए वेनेजुएला की जनता, उनके परिजनों और उनकी पार्टी, यूनाइटिड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला को तहेदिल से शोक-संवेदना जताती है। इस दुख की घड़ी में हम वेनेजुएला की जनता के साथ एकजुटता में साथ खड़े हैं और साम्राज्यवाद और उसके आक्रामक कार्यों के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष का अपना संकल्प फिर दोहराते हैं।

सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 16 साल करने के सरकार के फैसले का एसयूसीआई(सी) द्वारा कड़ा विरोध

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 15 मार्च को जारी एक बयान में कहा,

यौन संबंध बनाने की उम्र घटाकर 16 साल करने के सरकार के फैसले का हम कड़ा विरोध करते हैं जो यौन अपराध और यौन हिंसा, खासकर बाल अपराध, नाबालिगों में यौन विकृत्ति, बलात्कार व सामूहिक बलात्कार, नैतिक अध:पतन, महिलाओं से छेड़छाड़, महिलाओं का पीछा करना व सरेआम चीरहरण और कामदर्शिता के बढ़ते ग्राफ को घटाने की बजाय, ऐसे कुकर्मों की और भी बढ़ोतरी को और घोर गलत कामों को बढ़ावा ही देगा। यह नैतिक पतन को तेज करेगा। यौन अपराध करने वालों और मीडिया में तथा फिल्मों, अश्लील साहित्य, फैशन शो के जरिए अश्लीलता व बेहूदगी को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और ऐसे व्यापक पैमाने पर फैली यौन विकृत्ति और लम्पटता के स्रोतों को बंद करना जहां जरूरी हो गया है, वहीं शासक पूंजीपतियों के घृणित वर्ग स्वार्थ में सरकार लोगों को, खासकर नौजवानों और किशोरों की नैतिक रीढ़ को तोड़ कर अपने भग्न अस्तित्व के लमहे और बढ़ाने के लिए हर तरह की नीतिभ्रष्टता और नैतिक गिरावट फैला कर और कुत्सित इच्छाओं की पूर्ति में मदद कर महज आग में घी डालने का ही कदम उठा रही है। यह गौर करना और भी बेचैन करनेवाला है कि नकली मार्क्सवादियों समेत विपक्षी पार्टियाँ चाहे इसमें लिप्त न भी हों पर वे सरकार के ऐसे जघन्य कदम के प्रति निष्क्रिय, मूकदर्शक बनी रह रही हैं।

हम सही समझ रखने वाले सभी लोगों से सरकार के इस बुरे फैसले के खिलाफ संगठित दीर्घस्थायी प्रतिवादी आन्दोलन में उठ खड़े होने का आह्वान करते हैं।

14 मार्च - कार्ल मार्क्स के स्मृति दिवस पर विचार गोष्ठी

सागर (म.प्र.) : एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की सागर जिला कमेटी द्वारा 14 मार्च को स्थानीय चेतना अध्ययन केन्द्र में कार्ल मार्क्स के 130वें स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई।

गोष्ठी के प्रमुख वक्ता पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड रामावतार शर्मा ने कहा कि मार्क्स क्रान्तिकारी दर्शन, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के प्रणेता और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रर्वतक थे। उन्होंने दुनिया के मजदूरों को शोषण से मुक्ति की राह दिखाई। आज दुनिया के अधिकांश देशों में उनका दर्शन, क्रान्तिकारी चिन्तन पहुंच चुका है। गोष्ठी के अतिथि वक्ता, सागर वि.वि. के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉ. डी.सी. शर्मा ने कहा कि मार्क्सवाद एक विज्ञान है, सभ्यता-संस्कृति को विकसित करने का एक सशक्त हथियार है। गोष्ठी का संचालन अशोक कुशवाहा ने किया। पी.आर. मलैया व अन्य साथियों ने भी अपने विचार रखे।

मंगोलपुरी अग्निकांड
एआईयूटीयूसी ने की दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग

मंगोलपुरी खुर्द गांव में जूता फैक्टरी में हुए अग्निकांड में 4 मजदूरों के जिन्दा जल जाने पर गहरा दु:ख प्रकट करते हुए एआईयूटीयूसी दिल्ली द्वारा इस वीभत्स अग्निकांड की कड़ी निन्दा की गई और श्रम उपायुक्त निमड़ी (एन.एम.) को 14 मार्च को एक ज्ञापन दिया। संगठन ने आरोप लगाया कि यह अग्निकांड फैक्टरी मालिक व श्रम विभाग की घोर लापरवाही से हुआ है। अफसोस की बात है कि ऐसी घटनाएं दिल्ली में बार-बार हो रही हैं। गत दिनों पीरागढ़ी स्थित जूता फैक्टरी में लगी आग केदौरान भी बाहर से ताला लगा था और इस बार मंगोलपुरी स्थित जूता फैक्टरी में भी, जो पूरी तरह से आपराधिक मामला है। यह श्रम कानूनों का भी उल्लंघन है। इसलिए फैक्टरी मालिक व संबंधित मैनेजर के साथ-साथ कारखाना निरीक्षक/श्रम निरीक्षक व लेबर दफ्तर केदोषी अधिकारियों पर आपराधिक मामला चलाना चाहिए जिनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से ऐसी फैक्टरी चल रही थी।

किसान सम्मेलन...

(पृष्ठ 1 का शेष)

के पुख्ता प्रबंध हैं। खाद, बीज, कीटनाशक व डीजल को महंगा करके खेती के लागत खर्च को तो सरकार लगातार खुद बढ़ा रही है लेकिन उन्हें लाभकारी दाम देने से इनकार किया जा रहा है। इससे ज्यादातर किसान कर्ज तले दबते जा रहे हैं। नहरी पानी के बटवारे के लिए हुड्डा सरकार ने कुछ नहीं किया सरकार के बजट में किसानों, कमेरे वर्ग व गरीबों की अनदेखी की गई। किसान मजदूरों के बच्चे पढ़लिख कर भी रोजगार से वंचित हैं। मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने 'काम के अधिकार' को मौलिक अधिकारों में दर्ज करने की मांग की। किसान संगठन के उपाध्यक्ष कॉमरेड बाबूराम पबनावा ने भी अपने विचार रखे।

किसान मजदूर संघर्ष समिति बादली के प्रधान महाबीर सिंह गुलिया, भूमि बचाओ संघर्ष समिति कुण्डल (खरखोदा) के प्रधान बलबीर सिंह राणा, किसान संघर्ष समिति बावल (रेवाड़ी) के राजेन्द्र सिंह एडवोकेट, किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजोखरा (अम्बाला) के सरदार भूपेन्द्र सिंह ने सम्मेलन की सफलता की शुभ कामनाएं देते हुए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन द्वारा प्रदेश भर में आन्दोलन गठित करने की पहलकदमी व भागीदारी के लिए आभार प्रकट किया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में किसान संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कॉ. अनूप सिंह मातनहेल ने खेती में सब्सिडी बढ़ाने, गरीब किसानों के कर्जे माफ करने, फसलों के लाभकारी दाम देने, मनरेगा में दैनिक मजदूरी 300 रुपये देने, एफडीआई रद्द करने, बुढ़ापा पेन्शन, विधवा पेन्शन, अशक्तता भत्ता व बेरोजगारी भत्ता 2000 रु. महीना करने की 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी किसान आन्दोलन तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि श्रमिक आन्दोलन की तरह किसान संगठनों को भी एक साझे मंच पर लाने के लिए ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन भरपूर प्रयास करेगा।

प्रतिनिधि अधिवेशन

4 मार्च को छोटूराम धर्मशाला में किसान संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कॉ. अनूप सिंह मातनहेल की अध्यक्षता में प्रतिनिधि अधिवेशन हुआ। इसमें सर्वसम्मति से पारित मुख्य प्रस्ताव में किसानों की दुर्दशा पर गहरी चिन्ता प्रकट करते हुए कहा गया कि देश की अर्थव्यवस्था कभी से पूंजीपतियों के चंगुल में आ चुकी है। दिन-रात मेहनत करके भरपूर उपज बढ़ाने पर भी किसान घाटे में हैं परन्तु पूंजीपति-व्यापारी मालोमाल हो रहे हैं। पूंजीपतियों, बड़े भूपतियों, धनी किसानों की हिमायती सरकारी नीतियों के कारण छोटे व मध्यम किसान भूमिहीन होते जा रहे हैं और खेतमजदूर काम की तलाश में मारे-मार फिर रहे हैं। बीजों पर देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का एकछत्र साम्राज्य कायम हो चुका है। सब्सिडी में कटौती व डीजल व खाद के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी से खेती का लागत खर्च बढ़ता जा रहा है। एफडीआई आने से विदेशी कम्पनियों द्वारा किसानों को लाभकारी मूल्य देने का सरकारी दावा सरासर धोखा है। रिलायंस के एसईजैड और डीएलएफ-वाड्रा के स्वार्थ में हुड्डा सरकार की कारगुजारियों को बेहद शर्मनाक व निन्दनीय बताया गया। सम्मेलन में नई राज्य कमेटी का गठन किया गया जिसमें कॉ. अनूप सिंह मातनहेल को प्रदेशाध्यक्ष, कॉ. बाबू राम पबनावा व कॉ. करतार सिंह अच्छेज को उपाध्यक्ष, कॉ. विजय कुमार को प्रदेश सचिव, कॉ. जयकरण माण्डोठी व कॉ. रामकुमार रेवाड़ी को सहसचिव चुना गया।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए एसयूसीआई(सी) सांसद डॉ. तरुण मण्डल

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की ओर से कॉ. गिरिजेश्वर सिंह द्वारा 3ए/38, डब्ल्यूईए, करोल बाग, नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाष: 011-25726631, E-mail: sarvaharadrishtikon@yahoo.com; sarvaharadrishtikon@gmail.com